



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 27.02.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के आरोपी 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.07.2016 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.सुरदीप व 2.गौतम पुत्रगण तारा निवासीगण मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के तारु की चाकू मारकर हत्या कर दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 557/16 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।

कार्यवाही –

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज 27.02.2025 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 557/16 धारा 302/34 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1.सुरदीप व 2.गौतम पुत्रगण तारा निवासीगण मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹ 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की कुल धनराशि मे से 90,000/- रुपये मृतक के पिता को प्रतिकर के रूप मे प्रदान किये जायेंगे ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.सुरदीप पुत्र तारा निवासीगण मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.गौतम पुत्र तारा निवासीगण मौ० सरायरफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 27.02.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 39/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.02.2025 को वादिया द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि जाफिर पुत्र अमीर हसन निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर गलत काम किया गया तथा धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस बनाम जाफिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 27.02.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जाफिर पुत्र अमीर हसन निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जाफिर पुत्र अमीर हसन निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

निरीक्षक अपराध श्री उदयवीर सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

कां0 1120 राहुल चौधरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 27.02.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 58/25 धारा 87/64(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.02.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शादाब पुत्र हाजी युसुफ निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 58/25 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया । थाना नूरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.02.2025 को अभियोग से संबंधित अपहृता को बरामद किया गया तथा विवेचना के क्रम मे अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही विवरण

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 58/25 धारा 87/64(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त शादाब पुत्र हाजी युसुफ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का विवरण-

शादाब पुत्र हाजी युसुफ निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 498 मनोज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 27.02.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 171/2025 धारा 137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.02.2025 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि मोहित पुत्र भारत सिंह निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर वादी की 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया तथा वादी की पुत्री के साथ गलत काम किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम मोहित उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 27.02.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त मोहित पुत्र भारत सिंह निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र भारत सिंह निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री उदयप्रताप प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2479 निखिल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नांगल

दिनांक 27.02.2025

थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही विवरण:-

थाना नांगल पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त मौ० आजम पुत्र मौ० सफीक निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर व एक पौना (देशी बन्दूक) 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना नांगल पर मु०अ०सं० 28/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मौ० आजम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



अभियुक्त का विवरण-

मौ० आजम पुत्र मौ० सफीक निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर व एक पौना (देशी बन्दूक) 315 बोर ।

पुलिस टीम :-

- 1-मुख्य आरक्षी प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 2-मुख्य आरक्षी विकास थाना नांगल जनपद बिजनौर ।